

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-3/2021

Dated Shimla-171002, the

२०-03-2021

Order

Sub:-

Diversion of 6.6603 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Parsiara to Kathiyari (Portion Rupiana to Gumarher) road (Kms. 0/00 to 10/00), within the jurisdiction of Dalhousie Forest Division, District Chamba, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-एच0पी0बी0/464/2009-सी0एच0ए0/311 दिनांक 12/06/2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 6.6603 हे० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
 - क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 13.50 हे० Dharsana DPF, Village Parsiyara & Rupiana पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।
 - ख) राज्य वन विभाग द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपोशीट संख्या अंकित की गई है।
 - ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 305 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
5. राज्य वन विभाग विधिवत् स्वीकृति जारी करने से पूर्व diversion and CA क्षेत्र का डिजिटल मानचित्र हार्ड एवं साफ्ट कॉपी (KML file) में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करेगी।
6. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
8. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

Contnd. P/2

APCF (F&A) li
PCF (H&F)
23/03/2021

538/

25/03/21

9. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार,

आर. डी. धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

-Contnd. P/3

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2021

Dated, Shimla-171001 the,

20 -03-2021

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
- ✓ 3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA), O/o HPFD HQ Talland, Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, Distt. Chamba, Himachal Pradesh.
6. DFO, Dalhousie Forest Division, Distt., Chamba, H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Dalhousie, Distt. Chamba, HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 20-3-2021

Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3674

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-3/2021

Dated Shimla-171002, the

20, -03-2021

Order

Sub:-

Diversion of 4.36 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Link road Simli to Fatehpur Road (Km 0/0 to 6/580), within the jurisdiction of Chamba Forest Division, District Chamba, Himachal Pradesh. (online no. FP/HP/ROAD/29680/2017)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/एच.पी. /06/52/2018/एफ.सी./1047 दिनांक 27/08/2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 4.36 हे० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 8.72 हे० Makyani DPF पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।
ख) राज्य वन विभाग द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।
ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. राज्य वन विभाग सी.ए. हेतु जमा की गई राशि रू० 14,96,127/- + रू० 74,806/- की संशोधित सी.ए. स्कीम भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 256 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
6. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
7. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

Contnd. P/2

31/03/21
APCF (FLA)
PCF (MOFF)
23/03/21

5383
25/03/21

9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
10. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
18. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार,

आर. डी. धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

-Contnd. P/3

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2021

Dated, Shimla-171001 the,

20 -03-2021

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA), O/o HPFD HQ Talland, Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, Distt. Chamba, Himachal Pradesh.
6. DFO, Chamba Forest Division, Distt., Chamba, H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Chamba, Distt. Chamba, HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 20-3-2021

Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.
